04/05/2026

–प्रकरण प्रस्तुत।

–प्रकरण का अवलोकन किया।

–आवेदक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला–कोरबा, छ.ग., निवासी– कोरबा, तहसील व जिला –कोरबा, छ.ग. के द्वारा ग्राम–कोरबा, प.ह. नं.–16, तहसील व जिला– कोरबा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर में 06 नग एवं पीछे भाग में चिकित्साक आवासीय परिसर में 04 नग साल के विशाल वृक्ष सूख गया है। उक्त सूखे हुए वृक्ष कभी भी टूटकर गिर जाने की संभावना है। अतः 04 नग सूखे साल वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु इस न्यायालय में आपका पत्र कमांक/वि.क. /2026/3887/कोरबा, दिनांक–02/04/2026 हेतु प्रस्तुत है।

– कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी कोरबा, परिक्षेत्र कोरबा, जिला–कोरबा, छ. ग. के पत्र कमाक/के.बी./926 कोरबा, दिनांक 04/05/2026 के अनुसार संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में लेख किया गया है जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर में 06 नग एवं चिकित्सक आवासीय परिसर में 04 नग कुल 10 नग साल वृक्ष जो सभी साल बोरर एवं प्राकृतिक रूप से मृत/सुखे अवस्था में है जिनकी डंगालिया स्वमेव ही टूट–टूट कर गिर रही है। जिसमें से कुल– 10 नग साल एवं अन्य प्रजाति की वृक्ष कटाई करने हेतु प्ररूप–घ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।

– छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।

–छ0ग0भू0राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 240 अंतर्गत वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन संबंधी नियम की कंडिका 1 में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध होने की स्थिति निम्नांकित हैः–

(क) किसी जलधारा, झरने अथवा तालाब के किनारे के अंतिम किनारे से 30 मीटर के अंदर,

(ख) किसी रास्ता अथवा बैलगाड़ी के रास्ते के बीच से 15 मीटर के अंदर एवं किसी पगडंडी से 6 मीटर के अंदर,

(ग) किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की क्षेत्र में सम्मिलित किसी उपवन में,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.)

(घ) वन महोत्सव कार्यक्रम या उसके समान किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में अथवा

(ड.) पड़ाव, कब्रस्तान अथवा श्मशान स्थल,गोठान, खलिहान, बाजार अथवा आबादी हेतु अलग किए गए किसी क्षेत्र में, अथवा

(च) पहाड़ी एवं 25 डिग्री से ज्यादा ढलान वाले उपर– नीचे क्षेत्र पर, न तो काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, न उसका तना छील कर घेरा जाएगा एवं न ही उसे अन्यथा क्षति पहुंचाया जाएगा।

– आवेदित वृक्षों की कटाई पर उपरोक्त वर्णित परिस्थितियॉ लागू नहीं होना पाया गया।

वृक्ष कटाई के नियम 2022 की कंडिका 3 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा0) निम्नांकित वृक्ष परिस्थितियों में वृक्ष कटाई की अनुशंसा कर सकेगा –

(एक) ऐसे वृक्षों अथवा उनके भाग से जीवन एवं संपत्ति की कोई क्षति अथवा नुकसान होने की संभावना, या उससे पीने के पानी के दूषित होने की संभावना हो।

(दो) वृक्ष सूख गए हो, अथवा सूख रहें हो।

(तीन) ऐसे वृक्ष को हटाने से किसी जनोपयोगी स्थल की सुंदरता अथवा सुविधाओं में वृद्धि होने की संभावना हो।

(चार) ऐसे फलदार वृक्ष जो न फलने वाला हो, सूख गया हो।

(पांच) फल प्रजाति से अलग प्रजाति के ऐसे पेड़ विदोहन योग्य गोलाई के हो। (ऐसी विदोहन योग्य गोलाई संबंधित वनमण्डल द्वारा निर्धारित की गई गोलाई मानी जाएगी।)

(छः) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो।

– उपरोक्त वृक्षों को छ0ग0भू0रा0सं0 की धारा 240 के अंतर्गत बने नियम 2 (सात) एवं नियम 10 के प्रावधानों के तहत एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार एक कलेण्डर वर्ष में एक खाते पर 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से अधिकतम कुल 10 वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी उल्लेखित है।

– छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

– छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 240 के अधिन वृक्ष कटाई नियमं 2022

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

के 3 (तीन) ऐसे वृक्ष को हटाने से किसी जनोपयोगी स्थल की सुंदरता अथवा सुविधाओं में वृद्धि होने की संभावना हो।

(छः) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो।

नियम की कंडिका 2(सात) में ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया है, पर वृक्ष की कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

– अतः लोक हित एवं जन धन की सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम– कोरबा, आवेदक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला–कोरबा, चिकित्साक आवासीय परिसर में साल एवं अन्य प्रजाति के कुल 10 नग वृक्ष स्थित है, जिसमें से कुल – 10 नग वृक्षों को काटने की अनुमति दी जाती है।

आवेदक स्वयं के व्यय से एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निगरानी में उक्त वृक्ष की कटाई करेगा।

–संबंधितों को अनुमति आदेश की प्रति प्रेषित की जावे। तत्पश्चात् प्रकरण पंजीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी (रा०)
कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

1389
515/26

प्ररूप–ड
(नियम 7(2) देखिये)
अनुमति

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
निवासी– कोरबा, प.ह.नं.–16
तहसील व जिला.–कोरबा,

विषयः– प्राकृतिक रूप से उगे साल एवं अन्य प्रजाति के वृक्षों को काटने की अनुमति बाबत्।

----00----

आवेदक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला–कोरबा छ.ग., निवासी–कोरबा, तहसील व जिला –कोरबा, छ.ग. के द्वारा ग्राम–कोरबा, प.ह.नं.–16, तहसील व जिला– कोरबा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर में 06 नग एवं पीछे भाग में चिकित्साक आवासीय परिसर में 04 नग साल के विशाल वृक्ष सूख गया है। उक्त सूखे हुए वृक्ष कभी भी टूटकर गिर जाने की संभावना है। अतः 04 नग सूखे साल वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु इस न्यायालय में आपका पत्र कमांक/वि.क./2026/3887/कोरबा, दिनांक–02/04/2026 हेतु प्रस्तुत है।

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी कोरबा, परिक्षेत्र कोरबा, जिला–कोरबा, छ.ग. के पत्र कमाक/के.बी./926 कोरबा, दिनांक 04/05/2026 के अनुसार संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में लेख किया गया है जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर में 06 नग एवं चिकित्सक आवासीय परिसर में 04 नग कुल 10 नग साल वृक्ष जो सभी साल बोरर एवं प्राकृतिक रूप से मृत/सुखे अवस्था में है जिनकी डंगालिया स्वमेव ही टूट–टूट कर गिर रही है। जिसमें से कुल– 10 नग साल एवं अन्य प्रजाति की वृक्ष कटाई करने हेतु प्ररूप–घ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

//2//

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.)

छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के नियम की कंडिका 2(सात) में ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया है, पर वृक्ष की कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है। प्राकृतिक रूप से उगे अधिकतम 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से एवं अधिकतम कुल 10 वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी।

अतः लोक हित एवं जन धन की सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम– कोरबा, आवेदक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला–कोरबा, चिकित्साक आवासीय परिसर में साल एवं अन्य प्रजाति के कुल 10 नग वृक्ष स्थित है, जिसमें से कुल – 10 नग वृक्षों को काटने की अनुमति दी जाती है।

आवेदक स्वयं के व्यय से एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निगरानी में उक्त वृक्ष की कटाई करेगा।

उपरोक्तानुसार पालन करने की स्थिति में कुल– 10 नग साल एवं अन्य प्रजाति के वृक्षों को विदोहन की अनुमति दी जाती है।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 05/05/2026

पृ.क्र. 1290 /अ.वि.अ./वाचक/2026

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर जिला–कोरबा।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल–कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार –कोरबा को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा (छत्तीसगढ़)
सत्यमेव जयते